

सेना उड़नयोग्यता और प्रमाणीकरण केन्द्र CENTRE FOR MILITARY AIRWORTHINESS & CERTIFICATION

रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन
DEFENCE R&D ORGANISATION
भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF DEFENCE
मारतहल्ली कालोनी पोस्ट आफिस, बेंगलोर
MARATHAHALLI COLONY P.O.
BENGALURU - 560 037.

वर्ग अनुमोदन सं.1739/Type Approval No.1739

मद/ For Item : मल्टी आउटपुट पॉवर सप्लाई यूनिट पार्ट सं. वीडीएस 1001 180 54/ Multi Output Power Supply Unit Pt. No. VDS 1001 180 54

यह प्रमाणित किया जाता है कि मेसर्स वर्साबाइट डाटा सिस्टम्स (पी) लिमिटेड, सं. 24/6, 20 मेइन, आई 'आर' ब्लॉक, राजाजीनगर, बेंगलूरु - 560 010 द्वारा अभिकल्पित, विकसित एवं उत्पादित "मल्टी आउटपुट पॉवर सप्लाई यूनिट" पार्ट सं. वीडीएस 1001 180 54, इश्यू सं.00 दिनांक 18 जनवरी 2009 को मेन असेंब्ली आरेखन सं. वीडीएस 1001 180 54, इश्यू-00, दिनांक 18 जनवरी 2009 के अनुसार चेतक और कामॉव हेलिकॉप्टर्स में काइट एमके-II ईएसएम सिस्टम में उपयोग हेतु उत्पादन के लिए अनुमोदित किया जाता है। यह उत्पाद आर सी एम ए (हैदराबाद) के समन्वय से तकनीकी विनिर्देश तथा क्वॉलिफिकेशन टेस्ट प्रोसीजर दस्तावेज सं. वीडीएस:1001 180 54, ईश्यू-00, दिनांक 18 जनवरी 2008 के अनुसार परीक्षित किया गया है । यह उत्पाद परिशिष्ट'ए' में संलग्न वर्ग रिकार्ड कम्प्लायन्स स्टेटमेंट में विवरित सभा आवश्यकताओं को पूर्ण कर चुका है ।

This is to certify that the "Multi Output Power Supply Unit" bearing the Part No. VDS 1001 180 54, issue No. 00 dated: 18th Jan 2009 designed, developed and manufactured by M/s. Versabyte Data Systems (P) Ltd., No.24/6, 20th Main, I 'R' Block, Rajajinagar, Bengaluru-560 010, is hereby approved for production as per Main Assembly Drawing No. VDS 1001 180 54, Issue-00, Dt: 18th Jan 2009, for use in KITE MK-II ESM System in CHETAK & KAMOV Helicopters. The product has been tested in co-ordination with RCMA (HYD), as per Technical Specification & Qualification Test Procedure Document No.: VDS 1001 180 54, Issue-00, Dt: 18th Jan 2008. It has met all the requirements as detailed in the type record compliance statement enclosed at Appendix 'A'.

पृष्ट/Page 01 of 02

पुष्ट/Page 02 of 02 टीए सं/TA No. 1739

इस वर्ग अनुमोदन को जारी करने के फलस्वरूप उत्पाद को प्रदत्त अंतरिम निकासी सुपरसीड होती है इसके उत्पादन के लिए अपनाई गई विधि को अब से सील कर दिया जाता है । उपरोक्त वर्ग अनुमोदन संख्या को सभी संलग्न आरेखन, संविदा तथा रिलीज़ नोट्स में उल्लेखित किया जाना चाहिए ।

The Provisional Clearances accorded for this product are hereby superceded consequent to issuance of this Type Approval. The process adopted to manufacture this product is sealed henceforth. The Type Approval number quoted above must be reflected in all relevant drawings, contracts & release notes.

यह वर्ग अनुमोदन 31 दिसंबर 2017 तक वैध है बशर्ते कि इसे स्थगित, निरस्त या रद्द नहीं किया जाये और इसके बाद इसका नवीकरण करवाना होगा । विक्रेता को इस वर्ग अनुमोदन की अवधि समाप्त होने के तीन महीने पहले ही अनुवर्ती नवीकरण के लिए निष्पादन प्रतिसूचना को सम्मिलित करते हुए सभी संगत दस्तावेजों के साथ आर सी एम ए (हैदराबाद), हैदराबाद से अनुरोध करना होगा ।

This Type Approval is valid up to 31st Dec 2017 unless otherwise cancelled or suspended or revoked and will have to be renewed subsequently. The vendor shall request RCMA (HYD), Hyderabad, for subsequent renewal, three months before the expiry of Type Approval, with all relevant documents including performance feedback.

अगर इस अनुमोदन को किसी अन्य अभिकरण को स्थानांतरण करना हो या संलग्न टाइप रेकार्ड में इंगित एसओपी के अनुसार निष्पादन में कोई परिवर्तन करना हो या किसी भी चरण में उत्पादन प्रक्रिया/ मेटीरियल्स में कोई परिवर्तन करना हो तो सेना उड़नयोग्यता और प्रमाणीकरण केन्द्र (सेमिलेक), बेंगलुरु की पूर्व सहमति लेनी होगी।

Prior concurrence of Centre for Military Airworthiness & Certification (CEMILAC), Bengaluru, will have to be obtained if this approval is to be transferred to any other agency or changes if any to the SOP declared to the performance indicated and change in manufacturing process/materials at any stage within the Type Record enclosed herewith are effected.

यह वर्ग अनुमोदन, थोक उत्पादन के लिए निश्चित रूप से दर्शायी गई विधियों के अनुसरण और डी.जी.ए.क्यू.ए, रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी गुणवत्ता नियंत्रण के पहलुओं पर आधारित है।

This approval is contingent upon strict adherence to the process demonstrated and the quality control aspects of bulk production being cleared by DGAQA, Ministry of Defence, Govt. of India.

संलग्न/Encl: परिशिष्ट'ए'/Appendix 'A'

सं/No.: सेमिलेक/CEMILAC/5070/ टी.ए/TA- 1739

दिनांक/Date: 18¹⁶ Dec 2012 फेक्स सं/Fax No: 080-25230856

विशिष्ट गैज्ञानिक /Distinguish Scientist

मुख्य कार्यपालक(उड्नयोग्यता)/

Chief Executive (Airworthiness)